Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 11, pp 102-106, November, 2026

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर के खरीफ फसल के अल्पकालीन ऋण की लक्ष्य पूर्ति का विश्लेषण

[1] Pawan Kumar Tamrakar , [2] Dr. Roopam Jain Hazra

[1] Research Scholar Faculty of Commerce & Management Kalinga University, Raipur, C.G.

[2] Assistant Professor Faculty of Commerce & Management Kalinga University, Raipur, C.G.

सारां”ा Abstract

किसानों के द्वारा अपनी उपज पैदा करने हेतु उन्हें वित्त की आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति वह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से करते है सदस्यता ग्रहण कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण की मांग करते हैं इस उद्देश्य से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा सदस्य किसानों की जमीन के रकबा के आधार पर स्वीकृत ऋण सीमा तय करती है प्राथमिक कृषि सख्त सहकारी समिति का कार्य अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने का है यह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण करने हेतु इस शीर्षक का चयन किया गया है निश्चित ही नीति निर्धारकों के लिए प्रस्तुत सोच पत्र उनके नीति निर्माण हेतु उपयुक्त होगी जिसके माध्यम से समिति द्वारा कितनी रकम अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु लक्ष्य रखी जाएगी और उसकी पूर्ति हेतु प्रयास किए जाएंगे साथ ही साथ बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने हेतु संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए नए सदस्य बनाने और उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा साथ ही साथ समिति अपनी क्षमता अनुसार उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है प्रस्तुत शोध बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के इस प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण करना है।

महत्वपूर्ण भाब्दावलीरू जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छत्तीसगढ़, अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खरीब फसल

1) परिचय Introduction

छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से धान उत्पादक राज्य है इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है भारत में छत्तीसगढ़ की पहचान धान उत्पादक राज्य के रूप में होती है छत्तीसगढ़ राज्य अपनी पहचान बनाने के लिए सतत रूप से कार्य करता रहता है छत्तीसगढ़ राज्य में धान की फसल पैदावार करना,समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करना तथा समय पर उनका परिवहन करना इस चुनौती पूर्ण कार्य को छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सहकारिता विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है इस कार्य को संपादित करने में सबसे अधिक भूमिका वित्त की होती है अर्थात आधुनिक कृषि में कृषि कार्य करने के लिए रासायनिक खाद उन्नत बीज कीटनाशक दवाएं के अतिरिक्त अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है इस हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से जुड़े हुए किसान सदस्य अपने कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की मांग करते हैं जिससे कि समय पर ऋण उपलब्ध हो जाने पर उन्हें कृषि कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नही होती और वह संसाधनों का उपयोग करते हुए अच्छी पैदावार करते है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनकी उपज को क्रय करने हेतु समर्थन मूल्य पर धान क्रय की राशि निर्धारित की गई है अर्थात कृषक को यह विश्वास होता है कि यदि उसने अपने कृषि भूमि पर धान की फसल पैदावार करें तो प्रति किंवटल एक निश्चित राशि उन्हें प्राप्त होगी

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नया रायपुर के राज्य तकनीकी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि कृषि फसल हेतु वर्ष के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत जिलेवार फसलवार ऋणमान का अवलोकन करते हैं संचित मान एवं असिंचित मान के सिद्धांत के लिए प्रति हेक्टेयर ऋण मान गत वर्ष के अनुरूप अथवा उसमें वृद्धि के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं वर्तमान में जो दरे निश्चित की गई है खरीफ फसल हेतु वर्ष 2025–26 के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा जिला स्तरीय ऋणमान तकनीकी समिति की बैठक आयोजन पश्चात खरीफ मौसम अंतर्गत अधिसूचित फसल हेतु स्वीकृत रायपुर जिला के लिए धान के संबंध में सिंचित भूमि के लिए 60000 प्रति हेक्टेयर तथा असंचित भूमि हेतु 45000 रुपए प्रति हेक्टेयर यह राशि नगद और वास्तु के रूप में प्रदाय की जाती है जो कि 60: और 40: है अर्थात 60: नगद के लिए 40: वस्तु के लिए सीमा निश्चित किया गया है।

इस उद्देश्य से वे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से ऋण की मांग कर फसल का उत्पादन करते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं पहले अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए दूसरा मध्यकालीन ऋण 3 से 7 वर्षों के लिए तीसरा दीर्घकालिक 9 वर्ष या उससे अधिक के समय के लिए हमारे शोध का केंद्र अल्पकालीन ऋण खरीब फसल हेतु अवधि 31 मार्च तक है इसके संबंध में समिति के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से अल्पकालीन ऋण वितरण किया जाता है इसके संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसे कृषक का वर्तमान का दो फोटोकॉपी, आवेदन पत्र, वचन पत्र धारित भूमि पर ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड की छाया प्रति बैंक शाखा की अमानत छाया प्रति इत्यादि बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को नाबार्ड के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जाता है जिसे हम रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात रुपए क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अल्प अवधि ऋण फसलों के लिए अल्पकालिक 1 वर्ष की अवधि के लिए वास्तु के रूप में और नगद के रूप में दी जाती है।

अतः पूरे छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था को संपादित करने के लिए कुल 33 जिलों में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जिसमें 3026113 सदस्य है उसमें से 2289152 सदस्य ने ऋण प्राप्त किया है अर्थात में ऋणी सदस्य हैं इन 33 जिलों में ऋण की मांग और पूर्ति के निर्धारण के संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विशिष्ट भूमिका होती है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ स्थापित किए हैं हमारे अध्ययन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की एक शाखा अभनपुर को लिया गया है शाखा की स्थापना 1 अप्रैल 1962 को हुई थी यह शाखा राज्य की राजधानी के निकट स्थित है जिसमें शहरी एवं ग्रामीण सदस्य शामिल है इस शाखा के अंतर्गत सात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत हैं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अभनपुर,चंडी सारखी, पचेड़ा, केंद्री, सिवनीऔर बेंद्री

शामिल है 29/10/2021 की स्तिथि मे शाखा में 3824 सदस्य थे जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 4356 सदस्य हो गए हैं जो विभिन्न सात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में शामिल है मेरे शोध पत्र का मुख्य बिंदु इन सभी समिति में सदस्यों को खरीफ फसल हेतु वितरित की जाने वाली अल्पकालीन कृषि ऋण लक्ष्य और पूर्ति का विश्लेषण करना है जिससे समिति और बैंक की ऋण प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण किया जा सके तथा उपयोगी परिणाम ज्ञात हो सके।

2)साहित्य समीक्षा

1. नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिलेवार फसलवार निर्धारण ऋणमान वर्ष 2025 26
2- Chander, R., & Chandel, J. K. (2011). Financial viability and operational efficiency of District Central Cooperative Banks in India. Indian Journal of Agricultural Economics, 66(2), 215–228.
3- Kanchu, T. (2012). An analytical study on deposit and credit indicators of District Central Cooperative Banks. International Journal of Marketing and Financial Management, 4(6), 45–58.
4- National Bank for Agriculture and Rural Development. (2025). Annual report 2024-25: Strengthening cooperative credit structure. NABARD Publications.
5- Siddaraju, V. G. (2012). Cooperative banks and inclusive growth in India: Performance and challenges. New Century Publications.
6- Varalakshmi, D., & Venkateswarlu, P. (2016). Financial performance and loan recovery management of District Central Cooperative Banks. Journal of Banking and Finance Studies, 8(3), 112–124.

3) अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध हेतु अध्ययन का क्षेत्र रायपुर जिले में स्थापित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर को लिया गया है इस शाखा के अधीनस्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिवनी, पचेड़ा, केंद्रीय, बेंद्री, अभनपुर चंडी और सारखी है इन समितियां में शामिल 4356 सदस्यों को अपने कृषि कार्य हेतु खरीफ फसल के लिए अल्पकालिक ऋण की मांग उत्पन्न करते हैं अतः जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि ऋण नीति के अनुरूप रकबा के आधार पर ऋण राशि तय की जाती है 31 जनवरी 2025 की स्थिति में अभनपुर शाखा के अधीनस्थ कृषक सदस्यों की कुल 8318.71 हेक्टर जमीन पंजीकृत हुई है उपरोक्त जमीन के आधार पर खरीफ फसल हेतु कृषक सदस्यों को नगद खाद, वर्मी बीज,दवाई आदि हेतु अल्पकालीन ऋण प्रदाय किया जाता है अध्ययन में अभनपुर शाखा में विगत 5 वर्षों में लक्ष्य पूर्ति का विश्लेषण किया जाएगा तथा निष्कर्ष उपरांत नए उपागम प्राप्त किए जाएंगे जो ऋण नीति निर्माता के लिए उपयोगी साबित होंगे

4) अध्ययन का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु यहां के कृषक सदस्यों से उनकी उपज को क्रय किया जाता है यह व्यवस्था चलती हैँ इस उद्देश्य से किसानों को खरीफ फसल हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की मांग पूर्ति को बनाए रखना है इसके लिए विगत 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर कि लक्ष्य पूर्ति का विश्लेषण करना है अर्थात शाखा के द्वारा प्रतिवर्ष ऋण वितरण हेतु लक्ष्य का निर्धारण उसकी पूर्ति नए सदस्य बनाने के लक्ष्य उनकी पूर्ति अऋणी कृषिको को ऋणी कृषक तथा नए सदस्यों को नवीन केसीसी जारी करने के कार्यों का विश्लेषण करना है अभनपुर शाखा के द्वारा सात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में कृषि ऋण वितरण हेतु बनाए गए लक्ष्य सदस्यों को ऋण वितरण एवं लक्ष्य की पूर्ति के प्रतिशत का विश्लेषण करना है इस कार्य में नई संभावनाओं को तरासना है अधिक से अधिक सदस्यों को कृषि ऋण लेने हेतु प्रेरित करना हैँ, बैंक के व्यवसाय का विस्तार करना है, कृषक सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकता का आकलन करना है, नए सदस्य बनने के लक्ष्य एवं पूर्ति के अंतर के कारणों को ज्ञात करना है एवं शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि का विश्लेषण करना है!

5) शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया हैँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अभनपुर शाखा से विगत 5 वर्षों के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनकी कार्यशैली, ऋण वितरण, लक्ष्य,पूर्ति का विवरण पत्रक से निष्कर्ष निकाले जाएंगे अध्ययन हेतु द्वितीयक समंक का प्रयोग किया जाएगा बैंक के द्वारा विगत 5 वर्षों में खरीफ ऋण वितरण पत्र के आधार पर अध्ययन कर शोध के निष्कर्ष तैयार किए जाएंगे इस हेतु शाखा बैंक के अधीन 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के ऋण वितरण के आंकड़े प्राप्त कर अध्ययन किया जा रहा है।

6) आंकड़ों का संकलन

आंकड़ों के संकलन हेतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से विगत 5 वर्षों की खरीफ फसल हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण सात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के लक्ष्य पूर्ति का विवरण पत्र वर्ष 2021–22 से 2025 –26 तक प्राप्त किए गए हैं जिसके आधार पर अध्ययन इस प्रकार है।

7) आंकड़ों का विश्लेषण

प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्नानुसार है सर्वप्रथम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा अभनपुर की सात प्राथमिक साख सहकारी समिति जो अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का कार्य करती है उनकी व्यावसायिक ऋण वितरण क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा उनके द्वारा निर्धारित ऋण वितरण का लक्ष्य तथा उसकी पूर्ति का विश्लेषण निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है –

।द्ध व्यक्तिगत अल्पकालिन नगद एवं वास्तु ऋन की अधिकतम सीमा
किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम नगद तीन लाख रूपए और वास्तु दो लाख रुपये अर्थात 500000 की होगी किसान के जमीन के रकबा के आधार पर प्रति हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु 60000 तथा असिंचित भूमि हेतु 45000 रूपये निर्धारित किया गया है यदि किसी किसान के पास आधा हेक्टेयर भूमि है तो उसके ऋण की सीमा 30000 निर्धारित होगी जिसका 60: नगद 40: प्रतिशत वास्तु के रूप में होगी।

ठ) **ऋण की अदायगी तथा ग्राहक क्षमता**

किसी सदस्य के द्वारा लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण की अदायगी उनकी फसल बिक्री के साथ की जाती है यह अदायगी कि दो या तीन किस्तों में उनकी फसल बिक्री के साथ वसूल की जाती है जैसे ही किसान समर्थन मूल्य पर फसल का ध्यान विक्रय हेतु समिति में लाता है निर्देशानुसार ऋण की अदायगी एक या दो किस्तों में की जाती है कृषक वर्ष में जो उपज प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ भाग घरेलू आवश्यकताओं के लिए रखा जाता है अतिरिक्त उत्पादन को विक्रय कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कर्ज की अदायगी के लिए करता है शासन के द्वारा प्रति एकड़ 20 किवंटल धान की सीमा निश्चित कर दी गई है!

ढ) **ऋण पर ब्याज का निर्धारण –**

राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषको को अल्पावधि ऋण 0: दर पर उपलब्ध कराया जाता है यदि कोई किसान तय की गई समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उस पर दंड ब्याज लगाया जाता है और उसको मिलने वाला ब्याज अनुदान निरस्त कर दिया जाता है किसानों से तीन प्रतिशत दंड ब्याज जोड़कर 15: ब्याज वसूल किया जाता है।

ण) **बहु फसल उगाने पर ऋण की पात्रता –**

बहुत से ऐसे किसान है जिनकी जमीन सिंचित क्षेत्र में आता है एवं कई किसान एक सत्र में एक ही रकबे में एक के बाद दूसरी फसल उगाने के लिए सक्षम होते हैं इस आधार पर एक ही रकबे मे दो फसल उगाने पर जारी की गई परिशिष्ट भाषा एवं दाब में निर्धारित ऋण सीमा के अनुसार नगद व वस्तु ऋण दिया जाएगा अर्थात खरीफ की फसल है धान के लिए ऋण आधार की समय–सीमा के पूर्व यह आवश्यक नहीं है उसे रवि ऋण की स्वीकृति दी जा सकती है।

त) **अल्पवाधि ऋण वितरण करने हेतु निर्धारित समय अवधि–**

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण नीति के तहत खरीद की फसल के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रवि की फसल के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उपलब्ध कराई जाती है।

थ) **अल्प अवधि ऋण वितरण करते समय ध्यान देने योग्य बातें–**

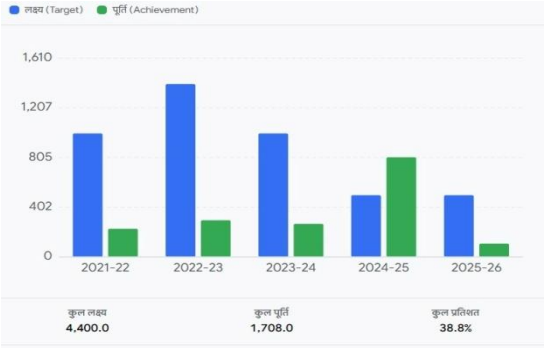
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा कृषकों को अल्पावधि ऋण वितरण करते समय कुछ निम्नलिखित बातें को ध्यान में रखी जाती है–

1. कृषक सदस्य को उसकी जमीन के आधार पर रकबा में राशि निश्चित कर दी जाती है उसकी क्षमता से अधिक ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं।
2. सदस्य के द्वारा पुराना ऋण समिति में जमा करने के बाद समिति द्वारा वसूल राशि बैंक में जमा होने के 7 दिन के पश्चात ही उसे कृषक सदस्य को समिति से नए ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी।
3. ऋण वितरण करने की पूर्व यह निश्चित किया जाता है कि सदस्य के द्वारा समिति पर अथवा किसी भी बैंक पर कालातीत ऋण शेष न हो।
4. सदस्य के द्वारा ऋण की पात्रता तभी होगी जब वह समिति में एक निश्चित अनुपात में अंश का धारक हो वर्तमान में यह पांच प्रतिशत है।
5. समिति के द्वारा वितरित किए जाने वाले अल्पकालीन ऋण का फसल बीमा कराना अनिवार्य है फसल बीमा की जो प्रीमियम राशि होती है वह सदस्यों से अल्पकालीन ऋण के अलावा अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की जाती है।
6. जारी किए गए ऋण नीति के अनुसार यदि कोई सदस्य नगद भाग का उपयोग नगद राशि ना लेकर अतिरिक्त वस्तु लेना चाहता है तो उसे यह सुविधा दी जा सकेगी परंतु समानता वस्तु ऋण का भाग नगद के रूप में नहीं दिया जाएगा।

ळ) **समिति के द्वारा अल्पावधि सामान्य ऋण साख सीमा पत्र तैयार करना**

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले समस्त समितियां द्वारा अल्पावधि सामान्य ऋण सीमा पत्र तैयार किया जाता है जिसे एनसीएल (छब्स्) कहते हैं प्रत्येक समिति के द्वारा समस्त सदस्यों के सामान्य ऋण सीमा उनके भूमि जोत के आधार पर निर्धारित की जाती है इसी के आधार पर प्रत्येक समिति खरीफ फसल हेतु लक्ष्य निर्धारित करती है और अपने कार्य अनुसार उसे पूर्ति करती है हमारे अध्ययन का केंद्र प्रत्येक समिति द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य एवं पूर्ति का विश्लेषण करना है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में आता है निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप ऋण राशि वितरित की जाती है एवं फसल विक्रय के साथ ही उसकी अदायगी सुनिश्चित की जाती है प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट हो सकेगा की समिति के द्वारा विगत 5 वर्षों में लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है और उसकी पूर्ति कितनी की गई है उसका विश्लेषण अग्रलिखित है –

1) सदस्य संख्या का विश्लेषण

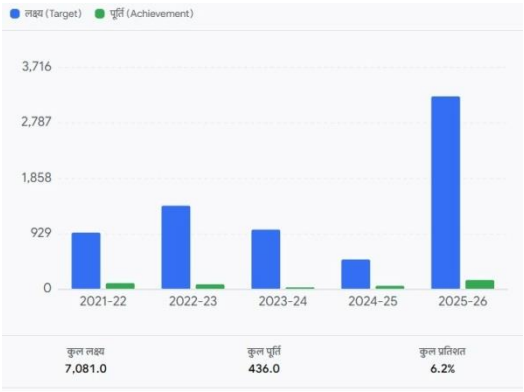


स्रोत– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भााखा अभनपुर की लक्ष्य पूर्ति खरीफ फसल अल्पकालीन ऋण वितरण विवरण पत्र वर्श 2021–22 से 2025–26।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अभनपुर में वर्ष 2021–22 में 3824 सदस्य थे वर्ष 2022–23 में 4097 सदस्य वर्ष 2023–24 में

वर्ष 2024–25 में 4356 सदस्य थे इस प्रकार स्पष्ट है कि विगत 5 वर्षों में सदस्यों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है जबकि अंतिम वर्ष में सदस्य संख्या कम हो रही है नए सदस्य बनाने हेतु वर्ष 2021–22 में 1000 नए सदस्य बनने के लक्ष्य रखे गए थे किंतु उक्त वर्ष में मात्र 226 नए सदस्य बनाए गए इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में 1400 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था किंतु 297 ही नए सदस्य बनाए गए वर्ष 2023–24 में 1000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया किंतु नए सदस्य 268 ही बनाए गए वर्ष 2024 25 में 500 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया किंतु केवल 307 नए सदस्य बने इसी प्रकार वर्ष 2025 26 में फिर 500 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया किंतु केवल 108 नए सदस्य बनाए गए उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उसके अधीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है नए सदस्य बनाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पूरा करने में पूरी तरीके से असफल हैं यह उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है अपने व्यवसाय के विकास हेतु नए सदस्य बनाना और उन्हें ऋण प्रदान करना आवश्यक है जो उनके अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य एवं पूर्ति में सहायक होंगे।

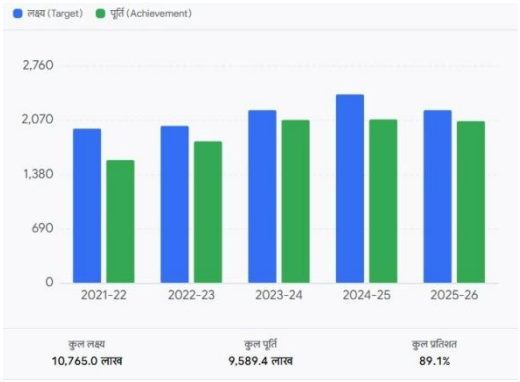
2) अऋणी सदस्यों को ऋणी सदस्य में परिवर्तन का लक्ष्य पूर्ति



स्रोत– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भाखा अभनपुर की लक्ष्य पूर्ति खरीफ फसल अल्पकालीन ऋण वितरण विवरण पत्र वर्ष 2021–22 से 2025–26।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर में संचालित सात प्राथमिक कृषि स्वास्थ्य सहकारी समितियां में ऋण वितरण का विश्लेषण करते समय अपने व्यवसाय के विकास हेतु जिन सदस्यों ने ऋण नहीं लिया है उन्हें रेडी सदस्य बनने के भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं विगत 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर या कहा जा सकता है कि इस दृष्टि में भी लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पा रही है वर्ष 2021–22 में कल 950 राना सदस्यों को ऋणी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था किंतु इसकी पूर्ति केवल 104 सदस्यों द्वारा की गई वर्ष 2022–23 में 1400 अ ऋणी सदस्यों को ऋणी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था किंतु इसकी पूर्ति केवल 84 सदस्यों द्वारा की गई वर्ष 2023 24 में 1000 अ ऋणी सदस्य को रीमिक्स सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया किंतु पूर्ति केवल 33 सदस्यों की हुई वर्ष 2024 25 में 500 अ ऋणी सदस्य को ऋणी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया किंतु पूर्ति केवल 59 सदस्यों की हुई तथा अंतिम वर्ष 2025 26 में 3233 रोड सदस्यों को श्रेणी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया लेकिन पूर्ति केवल 156 सदस्यों की हुई इस प्रकार कहा जा सकता है की अ ऋणी सदस्य को ऋणी सदस्य बनने में बैंक द्वारा प्रयास विफल रहा है यदि बैंक को ऋण वितरण संबंधी व्यवसाय को बढ़ाना है तो आदरणीय सदस्यों को ऋण वितरण के संबंध में व्यापक योजना बनाकर कार्य करना होगा।

3) ऋण वितरण की राशि का लक्ष्य पूर्ति का विश्लेषण



स्रोत– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भाखा अभनपुर की लक्ष्य पूर्ति खरीफ फसल अल्पकालीन ऋण वितरण विवरण पत्र वर्ष 2021–22 से 2025–26।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर के अधीन सात प्राथमिक कृषि साक्ष्यकारी समितियां का विगत 5 वर्षों का खरीफ फसल हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण के व्यवसाय के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण इस प्रकार है वर्ष 2021–22 में रेल वितरण हेतु 1965 लाख रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया किंतु पूर्ति केवल 1566.28 लाख रुपए की हुई लक्ष्य पूर्ति का प्रतिशत 80: है वर्ष 2022–23 में ऋण वितरण हेतु 2000 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया पूर्ति केवल 1804.76 लाख रुपए हुई पूर्ति का प्रतिशत 90: रहा वर्ष 2023 24 में 2200 लाख रुपए के लक्ष्य रखे गए किंतु पूर्ति 2075.34 लाख रुपए की हुई जो अपनी लक्ष्य पूर्ति का 94: है वर्ष 2024 25 में 2400 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया पूर्ति 2082.68 लाख रुपए की हुई जो 87:: है तथा वर्ष 2025 26 में 22 लाख रुपए अल्पकालीन खरीद वितरण का लक्ष्य रखा गया जबकि पूर्ति 2060.35 लाख रुपए की हुई जो 94: है इस प्रकार कहा जा सकता है कि विगत 5 वर्षों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा कभी भी 100: लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया है अतः यह स्पष्ट है की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्य और पूर्ति के निर्धारण में पर्याप्त योजना बनाकर इस अंतर को कम करें कुछ ऐसी समितियां जो अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ति नहीं कर पा रही है उसे पर विशेष ध्यान दें।

8) सारांश

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर के विभिन्न साख समितियों द्वारा विगत 5 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे पूरा करने में बैंक कुछ हद तक असफल रहा है इसका मुख्य कारण प्रत्येक समिति द्वारा नए सदस्य बनाने हेतु लक्ष्य अधिक निर्धारित की जाती है किंतु उसकी पूर्ति बहुत ही काम है इसी प्रकार ऐसे सदस्य जिन्होंने ऋण नहीं लिया है उन्हें श्रेणी सदस्य के रूप में बदलने के लक्ष्य भी अधिक निर्धारित किए गए हैं वास्तविक परिणाम बहुत कम है समिता अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करें तो उसे लाभ होगा तथा लक्षण का निर्धारण भी पर्याप्त विश्लेषण करके करना चाहिए इसे तो व्यापक योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जाता है एवं बहुत अधिक मात्रा में ऋण वितरण होता है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार समर्थन मूल्य प्रदान करें राशि का भुगतान है इस व्यवस्था को चलाने के लिए किसानों को उनकी फसल पैदा करने के लिए वित्त संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करना पड़ता है अतः इस पूरे चक्र को करने में छत्तीसगढ़ शासन की सहकारिता विभाग तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संरक्षण में यह कार्य संपन्न किया जाता है निश्चित ही सोच से प्राप्त परिणाम नीति निर्धारकों को समितियां द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति के विषय पर विचार करने हेतु प्रेरित करेगा

9) संदर्भ सूची References

1 प्रशासकीय प्रतिवेदन सहकारिता विभाग वर्ष 2025–26
2 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा अभनपुर से प्राप्त लक्ष्य पूर्ति खरीफ फसल हेतु अल्पकालिन ऋण वितरण पत्रक
3 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी ऋण नीति पत्रिका
4 नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिलेवार फसलवार निर्धारण ऋणमान वर्ष 2025–26
5 अंकेक्षण टीम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पचेड़ा, विकासखण्ड– अभनपुर वर्ष 2024–25
6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा अभनपुर का समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक।
7 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा– अभनपुर का खरीफ फसल वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक का अल्पकालीन ऋण वितरण पत्रक
8 छ.ग. सांख्यिकीय संक्षेप 2023–24 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
9 छ.ग. जनसंपर्क विभाग का समाचार पत्र 19.08.2026 शासकीय ऋण वितरण एवं आंकड़े
10 छ.ग. शासकीय किसान क्रेडिट कार्ड दिशा–निर्देश 2025